खंड . 3 अंक . 1 अगस्त 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषय वस्तु

- बाढ़ की स्थिति पर माननीय गृह मंत्री द्वारा ली गई बैठक
- डागमारा बहुउद्देशीय परियोजना
- सीडब्ल्यूएमआई हेतु केपीआई की समीक्षा
- भारत में नदियों की जल गुणवत्ता के संबंध में बैठक
- नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन
- एनडब्ल्यूएम के मिशन दस्तावेज में संशोधन
- एकीकृत जल व फसल सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली
- पेनियार नदी जल हेतु वार्ता समिति की बैठक
- फील्ड कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठक
- वर्गीकृत डेटा रिलीज़ समिति की 40वीं बैठक
- किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर का उन्नयन / संशोधन
- नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स की बैठक
- उत्तर कोयल परियोजना हेतु टीईसी की 27वीं बैठक
- डीआरआईपी
- स्कूली शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण
- एनडब्ल्यूएम के मिशन दस्तावेजों के संशोधन के संबंध में बैठक
- मीडिया से सँवाद
- जूलाई, 2020 के दौरान बाढ़ की स्थिति
- डैम इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर (एम. टेक) पाठ्यक्रम की ड्राफ्टिंग
- इंडस्ट्री से सँवाद
- डेटा कॉर्नर-बेसिन-वार जल की स्थिति (2050)
- आदि-बद्री परियोजना
- पीएचईपी-II भूटान के लिए बैठक
- "जल संसाधन और जल विद्युत परियोजनाओं में तलछट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश"
- जल क्षेत्र - समाचार
- इतिहास – प्रकाशम बैराज

आर.के. जैन
अध्यक्ष, के.ज.आ.

संदेश

देश भर में मानसून के पहले दो महीनों में वर्षा में विपरीत प्रवृत्ति देखी गई जिसमें जून के महीने में वर्षा अधिक और जुलाई में कम रही.हालांकि, अगस्त महीने के दौरान कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए देश में प्रचुर वर्षा हुई. साप्ताहिक आधार पर के.ज.आ. द्वारा निगरानी किए गए 123 जलाशयों में दिनांक 27.08.2020 को उपलब्ध लाइव स्टोरेज के अनुसार इन जलाशयों में पानी की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 2% अधिक है और यह पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण से लगभग 19% अधिक है. कृषि क्षेत्र में अगस्त के आंकड़ों के अनुसार खरीफ की फसल का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% अधिक था.

उच्च तीव्रता की बारिश की घटनाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा की. अगस्त महीने के दौरान, के.ज.आ. के 18 साइटों पर नदियों ने अपने पिछले दर्ज किए गए उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) को पार किया. इस वर्ष मई से अगस्त तक की अवधि के दौरान देश के सत्रह राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश , तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में तीव्र से चरम बाढ़ तक की स्थिति देखी गई है. के.ज.आ. की क्षेत्रीय इकाइयाँ प्रत्येक नदी बेसिन में नियमित रूप से बाढ़ की स्थिति की निगरानी कर रही हैं.

देश में बाढ़ की स्थिति और बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 03.07.2020 को गृह मंत्रालय में एक बैठक की. श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., मैने और मंत्रालय तथा के.ज.आ. के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया. बैठक के दौरान मैंने बाढ़ की स्थिति, देश में विभिन्न बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों सहित बाढ़ न्यूनीकरणके लिए संरचनात्मक/गैर-संरचनात्मक उपायों, एकीकृत जलाशय संचालन (आईआरओ), गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन आदि में बाढ़ न्यूनीकरण के लिए प्रस्तावित प्रमुख भंडारण परियोजनाओं के विवरण प्रस्तुत किए.

इस महीने मैंने हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठकें की हैं. वृहत और मध्य सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के लिए डेटाबेस को अपडेट करने, यूआईपी, आईपीसी और आईपीयू के लिए राज्य-वार डेटा के संकलन, के.ज.आ. की साइटों व के.ज.आ. द्वारा मॉनिटर किए गए जलाशयों पर टेलीमेट्री की स्थापना और संचालन, बाढ़ के पूर्वानुमान से संबंधित गतिविधियाँ और हाइड्रोलॉजिकल प्रेक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास, सर्वेक्षण और जांच आदि पर चर्चा की गई है. उपरोक्त मामलों पर क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक मार्गदर्शन भी जारी किए गए.

इस महीने के दौरान के.ज.आ. ने निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी देश में बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जल क्षेत्र में उनकी क्षमताओं को जानने के लिए विचार-विमर्श किया.

नीति आयोग ने जल शक्ति मंत्रालय को संदर्भ वर्ष 2018—19 के लिए सीडब्ल्यूएमआई (सीडब्ल्यूएमआई 3.0) के तीसरे दौर के विकास में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है. के.ज.आ. प्रमुख केपीआई को परिष्कृत करने में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है.

उत्तर कोयल, आदि—बद्री, पोलावरम, किशाऊ, डागमारा आदि जैसी चल रही/ प्रस्तावित परियोजनाओं पर के.ज.आ. के अधिकारियों द्वारा विभिन्न चर्चाओं/बैठक में भाग लिया गया.

यह उत्साहवर्धक है कि राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे ने कोविड—19 की स्थिति के कारण उत्पन्न चुनौतियों को बहुत प्रभावी तरीके से सुलझाया है और दूरस्थ शिक्षण/आई.टी. टूल्स का उपयोग करके चालू वित्त वर्ष के द्वारा अपनी प्रशिक्षण गतिविधि/पहुंच को कई गुना बढ़ा दिया है. आयोजित किये गये सबसे सफल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक भारत के जल क्षेत्र के बारे में स्कूल के शिक्षकों को संक्षिप्त विवरण देना था. इन कार्यक्रमों के माध्यम से 2000 से अधिक स्कूल शिक्षक लाभान्वित हुये हैं. मुझे उम्मीद है कि वे प्राप्त ज्ञान से नवोदित छात्रों में भी यह जानकारी बढ़ायेंगे, जोकि भविष्य में जल क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले नागरिकों को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

पीएमकेएसवाई के तहत हिमाचल प्रदेश में चल रहे एसएमआई प्रोजेक्ट्स

बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु तैयारियों की समीक्षा करने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा ली गई बैठक

देश के सभी नदी बेसिनों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा हेतु 03.07.2020 को माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., श्रीआर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ., श्रीमती देवश्री मुखर्जी, अतिरिक्त सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., श्री अतुल जैन, आयुक्त(एफएम) और श्री शरद चन्द्र, निदेशक(एफएफएम), के.ज.आ. ने जल शक्ति मंत्रालय की ओर से उपरोक्त बैठक में भाग लिया. बैठक में भारत में बाढ़ प्रबंधन पर अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें बाढ़ न्यूनीकरण, एकीकृत जलाशय संचालन (आईआरओ) के लिए संचरनात्मक/गैर—संरचनात्मक उपायों का विवरण, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में बाढ़ न्यूनीकरण के लिए प्रस्तावित प्रमुख भंडारण परियोजनायें आदि शामिल थीं.

इस बैठक के दौरान, मुख्य कार्य बिंदु निम्नानुसार थे :

1. बाढ़ को कम करने और सम्पत्ति व जीवन के नुकसान को कम करने के लिए एक सुनियोजित योजना विकसित करना
2. देश के प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों/क्षेत्रों में बाढ़ और जल स्तर में वृद्धि के पूर्वानुमान के लिये स्थायी व्यवस्था हेतु एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय
3. बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में निरंतर बाढ़ की समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु उपाय करना
4. पानी को समय पर छोड़ने के लिए बांधों के भंडारण की समीक्षा और आकलन करना जिससे बाढ़ को रोका जा सके
5. जल ग्रहण क्षेत्रों में वर्षा के आकलन के आधार पर राज्यों को सलाह/प्रारंभिक चेतावनी जारी करना

निम्नलिखित विवरणों को शामिल करते हुये गृह मंत्रालय (एमएचए) को कार्यवाही नोट भी प्रस्तुत किया गया है :

1. के.ज.आ., वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 327 स्थानों (198 स्तर व 129 अंर्तवाह) पर बाढ़ का पूर्वानुमान जारी कर रहा है
2. के.ज.आ. राज्य के आपदा प्रबंधन विभागों/सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण विभागों और सभी परियोजना प्राधिकारियों सहित सभी हितधारकों के साथ निकट संपर्क बनाये रखता है
3. संरचनात्मक उपाय विशेष रूप से बांध बाढ़ की समस्याओं के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करते हैं
4. केन्द्रीय जल आयोग दोनों ही पद्धति अर्थात् हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और रिमोट सेंसिंग आधारित अवसादन सर्वेक्षण करता है. केन्द्रीय जल आयोग देश में 369 महत्वपूर्ण/प्रमुख जलाशयों में गाद की स्थिति का संकलन कर रहा है और शीघ्र ही एक कंपेंडियम प्रकाशित करेगा
5. के.ज.आ. ने बांधों के साथ लगभग 10 नदियों का चयन किया है और आईएमडी एक महीने के लिये के.ज.आ., को वर्षा की चेतावनी उपलब्ध करवायेगा, जिसके आधार पर प्रवाह का आकलन एक महीने पहले किया जा सकता है. आईएमडी के परामर्श से इस गतिविधि पर काम शुरू हो गया है
6. विनियमित घाटियों के लिए आईआरओ के साथ बेहतर बाढ़ प्रबंधन संभव है. जलाशयों के एकीकृत संचालन के लिए डीएसएस के विकास को 8 प्रमुख बेसिनों अर्थात गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, माही, तापी और सुवर्णरेखा के लिए प्रस्तावित किया गया है. इसमें मुख्य रूप से बड़े जलाशयों को शामिल किया गया है जिनका बाढ़ न्यूनीकरण में खास महत्व है

डागमारा बहुउद्देशीय परियोजना

बिहार राज्य में कोसी नदी पर बिजली उत्पादन के लिए डागमारा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का विकास एक रन आफ द रिवर स्कीम के रूप में प्रस्तावित है. यह बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और अन्य लाभों के लिए कोसी नदी में जल प्रवाह के उपयोग की परिकल्पना करता है. परियोजना में कोसी नदी पर पूरी तरह से गेटेड स्पिलवे और 2 सतही बिजलीघर के साथ एक मृदा बांध और कंक्रीट बैराज के निर्माण की परिकल्पना की गई है. भारतीय क्षेत्र के भीतर पूर्वी तटबंध पर 31 कि.मी. चेनेज पर प्रस्तावित बैराज से लगभग 15 किलोमीटर तक परियोजना का जलाशय 2 मौजूदा तटबंधों के भीतर फैला हुआ होगा. प्रस्तावित संरचना मौजूदा कोसी बैराज और भारत—नेपाल सीमा से लगभग 31 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पर होगी. यह बैराज स्थल बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी के दाहिने किनारे पर गांव दुधैला और बायें तट पर गांव पुराना भपतिआही के समीप प्रस्तावित है.

वर्ष 2013 में परियोजना की डीपीआर को मंजूरी दे दी गई थी लेकिन लागत के मुद्दों के कारण टीईसी नहीं किया जा सका. अब के.ज.आ., द्वारा मई 2020 में संशोधित लेआउट के बारे में टिप्पणियां जारी की गईं हैं. वर्तमान लेआउट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक बैठक (आनलाइन) श्री आर.के. सिंह, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा की अध्यक्षता में 10.07.2020 को आयोजित की गई. डा. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएण्डआर), के.ज.आ. के नेतृत्व में के.ज.आ. के अधिकारियों की टीम ने इसमें भाग लिया. बिहार सरकार के प्रतिनिधि ने इस परियोजना प्रस्ताव के बारे में एक प्रस्तुति दी. बैठक के दौरान मुख्य अभियंता, डिजाइन(एनएण्डडब्ल्यू), के.ज.आ. द्वारा परियोजना लेआउट के पहलुओं जैसे 2 पावरहाउस परिसर और डिसिल्टिंग व्यवस्था पर चर्चा की गई.

सीडब्ल्यूएमआई के मौजूदा केपीआई पर टिप्पणियों पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं. विभाग द्वारा ली गई बैठक

बढ़ते हुये जल संकट को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने भारतीय राज्यों में प्रभावी जल प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) विकसित किया है. जल प्रबंधन के संबंध में राज्यों के प्रदर्शन को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए सीडब्ल्यूएमआई 9 विषयों से मिलकर बना है, जिसे आगे 28 केपीआई में विभाजित किया गया है.

सीडब्ल्यूएमआई संस्करण 1 को वर्ष 2018 में जारी किया गया था जो केंद्र और राज्यों के दो वित्त वर्ष 15—16 और 16—17 के लिए पानी के आंकड़ों पर आधारित था. वित्त वर्ष 17—18 में प्रदर्शन के आंकड़ों के आधार पर सीडब्ल्यूएमआई संस्करण 2, अगस्त 2019 में जारी किया गया था, जिसने पहले दौर की पहल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और केपीआई को वर्धित किया. सीईओ, नीति आयोग ने जल शक्ति मंत्रालय को संदर्भ वर्ष 2018—19 के साथ सीडब्ल्यूएमआई (सीडब्ल्यूएमआई संस्करण 3.0) के तीसरे दौर के विकास में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया. के.ज.आ. ने सीडब्ल्यूएमआई रिपोर्ट संस्करण 2 के मौजूदा केपीआई पर ज.सं.न.वि. एवं गं.सं. विभाग को मसौदा टिप्पणियां उपलब्ध कराईं और सीडब्ल्यूएमआई संस्करण 3 के लिए संशोधनों का सुझाव दिया.

दिनांक 03.07.2020 को सचिव (ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि.) ने सीडब्ल्यूएमआई 3.0 के विकास के प्रारम्भ से पहले नीति आयोग द्वारा अंतिम दस्तावेज में शामिल किये जाने वाले बिन्दुओं पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए एक वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित की. इस बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ., डीजी, एनएमसीजी, सदस्य(डब्ल्यूपीएण्डपी), के.ज.आ., अध्यक्ष, सीजीडब्ल्यूबी, निदेशक, एनआईएच, आयुक्त(एसपीआर), ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., मुख्य अभियंता, बीपीएमओ, के.ज.आ., निदेशक, बीपी—।। निदेशालय, के.ज.आ. और कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में हुई चर्चाओं के आधार पर, केपीआई पर अधिक परिष्कृत और समेकित सुझाव जुलाई 2020 में ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. को भेजे गये हैं.

भारत में नदियों की जल गुणवत्ता के संबंध में सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. द्वारा ली गई बैठक

''भारत में जल गुणवत्ता की गतिविधियां'' पर 20.07.2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में एक बैठक निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करने के लिये आयोजित की गई:

1. प्रत्येक संगठन द्वारा किये जा रहे जल गुणवत्ता गतिविधियों पर प्रस्तुति
2. डेटा संग्रह, इसका प्रसार और साझाकरण
3. जल की गुणवत्ता, निगरानी नेटवर्क में भविष्य की आवश्यकतायें
4. आगे की योजना

सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. ने शुरुआती टिप्पणी में माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 10.04.2020 को हुई बैठक में जल गुणवत्ता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के बीच अधिक पारस्परिक बातचीत और सहयोग की आवश्यकता पर लिये गये निर्णय का उल्लेख किया. उन्होंने भारत में जल संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए रियल टाइम निगरानी और कार्यवाही करने पर जोर दिया. इसके बाद, के.ज.आ., सीजीडब्ल्यूबी, एनएमसीजी, एनआरसीडी, एनआईएच और एनडब्ल्यूआईसी द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं.

विस्तृत विचार—विमर्श के बाद, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा निम्नलिखित अनुदेश/निर्देश दिये गये :

- शेष 11 प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता के लिए के.ज.आ. द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये
- मौजूदा डीडब्ल्यूआरआईएस योजना के तहत प्रस्तावित 464 नये डब्ल्यूक्यू स्टेशनों को के.ज.आ. द्वारा स्थापित किया जा सकता है. चल रही डब्ल्यूआरआईएस योजना में व्यय अभी भी ईएफसी ज्ञापन में उल्लिखित स्वीकृत राशि के भीतर है और जल की गुणवत्ता के पैरामीटर का प्रेक्षण कोई नया काम नहीं है बल्कि के.ज.आ. की निरंतर चलने वाली गतिविधि है. 277 साइटों (464 प्रस्तावित साइटों में से) पर के.ज.आ. का मौजूदा बुनियादी ढांचा पहले से ही उपलब्ध है और गेज/डिस्चार्ज इत्यादि के साथ अतिरिक्त डब्ल्यूक्यू पैरामीटर की माप तुरंत न्यूनतम प्रयास के साथ शुरू की जा सकती है.
- विभिन्न संगठनों के संसाधनों के एकीकरण और ईष्टतम उपयोग के लिए सभी संगठनों के बीच आपसी समझ होनी चाहिये और जहां तक संभव हो संसाधनों की गुणवत्ता की निगरानी और सुधार के लिये प्रयोगशालाओं और मानवशक्ति के मौजूदा आधारित संरचना का उपयोग किया जाए. संबंधित संगठनों द्वारा एमओयू के माध्यम से कार्यान्वयन कैसे किया जाए इसका पता लगाया जाना चाहिये
- सभी संगठन की स्वीकृत वैज्ञानिक पदों को एसएससी/यूपीएससी/विभागीय पदोन्नति के माध्यम से या तो भरा जा सकता है या प्रत्येक संगठन के विभिन्न श्रेणियों के तहत अनुपयोगित पद को समाप्त कर नए पद सृजित किये जा सकते हैं
- निकलने वाले कुछ दूषित पदार्थों की निगरानी करने की आवश्यकता है उदाहरणार्थ उर्वरक से निकले नाइट्रेट्स, फार्मासूटिकल्स और पर्सनल केयर उत्पाद. नदियों/सतही जल/भूजल में नये प्रदूषकों की पहचान करने और उनकी नियमित निगरानी करने की आवश्यकता है
- सतही जल गुणवत्ता और भूजल गुणवत्ता के बीच संबंध का अध्ययन किया जाना चाहिए
- सीपीसीबी के एयर क्वालिटी इंडेक्स के समान एक साधारण वाटर क्वालिटी इंडेक्स का विकास किया जाना चाहिये जिसे जनता द्वारा आसानी से समझा जा सके

नेशनल इंफ्रास्टक्चर पाईपलाईन —ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. टास्क फोर्स की पहली बैठक

नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन (एनआईपी) —ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. टास्क फोर्स की पहली बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 31.07.2020 को सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में हुई. श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएण्डपी), के.ज.आ. और श्री पी. दोरजे ग्याम्बा, निदेशक (डब्ल्यूपीएण्डपी समन्वय), के.ज.आ. ने बैठक में भाग लिया. आर्थिक सलाहकार, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. ने एनआईपी की अवधारणा, डीईए/ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की भूमिका, निगरानी के तरीके और नियत समय पर अन्य रणनीतियों के बारे में प्रस्तुति दी. बैठक मे, एनआईपी रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित गवर्नेंस ढांचे के अनुरूप सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में अंर्तमंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) का गठन करने का निर्णय लिया गया. आईएमएससी, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. से संबंधित एनआईपी में शामिल जल और स्वच्छता उपक्षेत्रों की परियोजना की समीक्षा और निगरानी करेगा. आईएमएससी में पर्यावरण व वन मंत्रालय, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि जैसे मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. विभाग के भीतर विभिन्न विंग/संगठन के लिए कार्यवाही की मदें तय की गईं. के.ज.आ. को राज्य एनआईपी परियोजनाओं का विवरण संकलित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

एनडब्ल्यूएम के मिशन दस्तावेज के संशोधन के संबंध में बैठक

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. ने राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) के संशोधित मिशन दस्तावेजों पर 27.07.2020 को एक बैठक ली. अतिरिक्त सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., एएसएण्डएमडी, एनडब्ल्यूएम, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया. के.ज.आ. से श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. के साथ सदस्य(डब्ल्यूपीएण्डपी), सदस्य(आरएम), मुख्य अभियंता(बीपीएमओ), मुख्य अभियंता(आईएमओ), मुख्य अभियंता(ईएमओ), निदेशक(डब्ल्यूपीएण्डपीसी), निदेशक(बीपी—I), के.ज.आ. ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया.

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को 30.06.2020 को जारी किया गया ताकि जलवायु परिवर्तन का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये सहलाभ अर्जित करते हुये विकास के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जा सके. यह 8 मिशन नामत: राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता वृद्धि के लिये राष्ट्रीय मिशन, सस्टेनेबल हैबिटेट पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ''ग्रीन इंडिया'' के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है.

राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना 2011 में ''जल के संरक्षण, अपव्यय को कम करने और एकीकृत जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बीच और इनके भीतर तथा अधिक बराबरी से वितरण को सुनिश्चित करने'' के उद्देश्य से की गई थी. एनडब्ल्यूएम के व्यापक मिशन दस्तावेज को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 06.04.2011 को मंजूरी दी गई. जुलाई 2011 में अधिसूचना जारी की गई.

इसके अलावा, सचिव, पर्यावरण व वन मंत्रालय, ने सचिव, जल संसाधन मंत्रालय को संबोधित अपने डी.ओ. पत्र दिनांक 03.01.2018 के माध्यम से यह भी अनुरोध किया था कि मंत्रालय (जल शक्ति मंत्रालय), एनडब्ल्यूएम के मिशन दस्तावेज के संशोधन की प्रक्रिया शुरू करे. दिनांक 27.07.2020 को आयोजित बैठक में लक्ष्यों के अनुसार संशोधित मिशन दस्तावेजों में प्रस्तावित बदलाव पर चर्चा की गई और इसके बाद के.ज.आ. की टिप्पणियों से एनडब्ल्यूएम को अवगत कराया गया.

इंडिया—डब्ल्यूआरआईएस - एकीकृत जल और फसल सूचना तथा प्रबंधन प्रणाली का विकास

जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार श्री श्रीराम वेदिरे ने 17.07.2020 को एकीकृत जल और फसल सूचना तथा प्रबंधन प्रणाली के विकास पर एक वर्चुअल बैठक ली. श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ., श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएण्डपी), डा. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएण्डआर), श्री सुनील गर्ग, निदेशक, एनडब्ल्यूआईसी, श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता, पीएमओ, के.ज.आ. और श्री पी. दोर्जे ग्याम्बा, निदेशक, डब्ल्यूपीएण्डपी(सी) निदेशालय, के.ज.आ. ने बैठक में भाग लिया. बैठक के दौरान मुख्य अभियंता, पी.एम.ओ., के.ज.आ. ने वर्ष 2017 तक इंडिया—डब्ल्यूआरआईएस पोर्टल के निर्माण और संचालन में के.ज.आ. के प्रयासों पर एक प्रस्तुति दी. बैठक में एकीकृत जल और फसल सूचना तथा प्रबंधन प्रणाली विकास के प्रस्तावित माड्यूल के लिए आवश्यक राज्य/केन्द्रीय एजेंसी की डेटा अपेक्षित/गतिविधियों की आवश्यकता/भूमिका पर चर्चा की गई. अध्यक्ष, के.ज.आ. ने सभी प्रस्तावित माड्यूलों पर पुर्नविचार करने पर जोर दिया क्योंकि डेटा की आवश्यकता बहुत अधिक है. माननीय जल शक्ति मंत्री ने भी इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. और श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ), के.ज.आ. ने भाग लिया. माननीय मंत्री ने विभिन्न व्यवहारिक पहुलओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया और अपेक्षित समर्थन प्रदान करने के लिये के.ज.आ. को निर्देश दिया.

पेन्नियार नदी पर आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत तमिलनाडु राज्य की शिकायत पर वार्ता समिति की दूसरी बैठक

पेन्नियार/पेन्नार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की दूसरी बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में 07.07.2020 को आयोजित की गई. सदस्य(डब्ल्यूपीएण्डपी), मुख्य अभियंता(आईएमओ), मुख्य अभियंता(सीएसआरओ), आईएसएम—1 निदेशालय के अधिकारी, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ—साथ केन्द्र सरकार के अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया.

तमिलनाडु राज्य ने केन्द्र सरकार को 30.11.2019 को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कर्नाटक के साथ पेन्नियार नदी पर जल विवाद निर्णय के लिए मामला अधिकरण को संदर्भित करने के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया. तद्नुसार, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत जनवरी 2020 में पेन्नियार नदी जल विवाद वार्ता समिति का गठन किया, जिसमें वेसिन राज्यों, केन्द्रीय जल आयोग, कृषि मंत्रालय, एमओईएफएण्डसीसी और एनआईएच रुड़की के सदस्य हैं. वार्ता समिति की पहली बैठक 24.02.2020 को हुई.

विस्तृत विचार विमर्श के बाद वार्ता समिति ने 31.07.2020 को अपनी अंतिम रिपोर्ट ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. को सौंप दी.

फील्ड कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठक

के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री आर.के. जैन द्वारा के.ज.आ. के क्षेत्रीय संगठनों के साथ 01.07.2020 से 09.07.2020 तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी) और सदस्य(आरएम) की उपस्थिति में बैठक ली गई. इन बैठकों में कई मामलों पर चर्चा की गई और क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक मार्गदर्शन जारी किये गये, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- एमएमआई परियोजनाओं के संकलन को मार्च 2019 तक के सूचना के आधार पर अद्यतन करने की आवश्यकता है
- राज्य सरकार के साथ आईपीसी/आईपीयू/यूआईपी के लिये डेटा का मिलान करना
- राज्यवार और बेसिनवार जल संसाधन विकास मास्टर प्लान का संग्रह
- के.ज.आ. द्वारा मानीटर किये जा रहे जलाशयों पर टेलीमैट्री की स्थापना को पूरा करने की योजना
- 25 जलाशयों के लिए टेलीमैट्री डेटा का केलीब्रेशन जिसका डेटा एमएफएम निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है
- जल वैज्ञानिक प्रेक्षण/टेलीमैट्री स्टेशनों से संबंधित विभिन्न मामले
- विभिन्न संगठनों के तहत साईटों का पुर्नगठन
- जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल की मान्यता

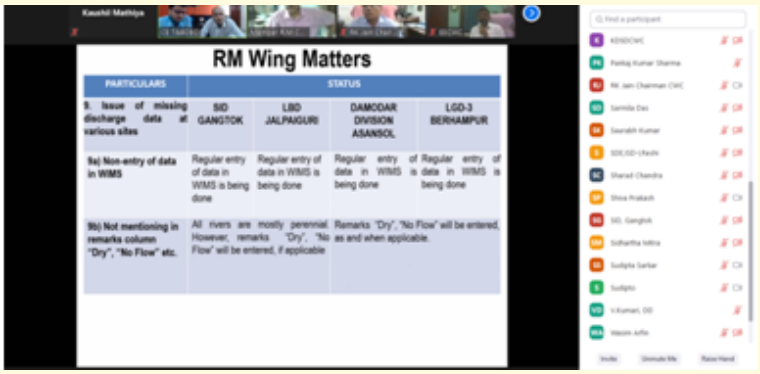

- अवसरंचना विकास और बजट का कुशल उपयोग
- के.ज.आ. द्वारा सर्वे व अन्वेषण की जा रही परियोजनाओं की स्थिति
- क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाईट को अद्यतन करना और ई—आफिस का उपयोग
- सभी वीआईपी संदर्भों, संसदीय मामलों आदि का प्राथमिकता के आधार पर जवाब दिया जायेगा

वर्गीकृत डेटा रिलीज कमेटी की 40वीं बैठक

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.मं.), भारत सरकार ने के.ज.आ. और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कार्यान्वयन के लिए संशोधित जल—मौसम संबंधी डेटा प्रसार नीति, 2018 को मंजूरी दी थी. डेटा प्रसार के दृष्टिकोण से देश को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है.

क्षेत्र—1 : सिंधु बेसिन और अन्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियाँ जो पाकिस्तान में बहती हैं.
क्षेत्र—2 : गंगा—ब्रह्मपुत्र—मेघना बेसिन और अन्य नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियां जो बंग्लादेश /म्यांमार में बहती हैं, और
क्षेत्र—3 : शेष अन्य नदियों और उनकी सहायक नदियां

क्षेत्र—1 और क्षेत्र—2 के लिए डेटा वर्गीकृत है. वर्गीकृत डेटा केवल विशिष्ट उद्देश्य/ अध्ययन के लिए जारी किया जाता है और यह अहस्तांतरणीय होगा. इस तरह के डेटा अनुरोधों को अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता वाली वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति (सीडीआरसी) के समक्ष रखा जाता है, जिसमें एमईए, आईबी, रा, एमओडी, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. और एनडब्ल्यूडीए का प्रतिनिधित्व होता है.

हाइड्रो-मौसम संबंधी डेटा प्रसार नीति, 2018 के तहत पुनर्गठित "वर्गीकृत डेटा रिलीज़ समिति" की 40वीं बैठक 14.07.2020 को अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में वर्गीकृत डेटा जारी करने के मामलों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई. के.ज.आ. के संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं से अनुशंसित 11 मामले प्राप्त हुये थे (10 नए और 1 पुराना मामला). वर्गीकृत डेटा रिलीज करने के प्रत्येक मामलों पर विस्तृत् विचार—विमर्श के बाद समिति ने इन सभी 11 मामलों के डेटा को जारी करने के लिए अधिकृत किया.

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर का उन्नयन / संशोधन

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी (यमुना नदी की एक सहायक नदी) पर प्रस्तावित है. परियोजना का प्रस्तावित स्थान हिमाचल के सिरमौर जिले में स्थित है जो डाकपत्थर (यमुना और टोंस नदी का संगम) से लगभग 50 किमी प्रतिप्रवाह और मौजूदा इछारी बांध से 10 किमी प्रतिप्रवाह पर है. परियोजना का डीपीआर 2010 में यूजेवीएनएल द्वारा के.ज.आ. को प्रस्तुत किया गया था. वर्ष 2011 में डीपीआर पर विचार/ टिप्पणियाँ को यूजेवीएनएल को सूचित किया गया. के.ज.आ / के.वि.प्रा की अधिकांश टिप्पणियों का अनुपालन लंबित रहा. बाद में, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर को संशोधित करने का निर्णय लिया गया.

की आवश्यकता पर परियोजना प्राधिकारियों के साथ चर्चा की गई.

डीपीआर के संशोधन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के डीपीआर को अद्यतन/संशोधित करने हेतु कार्य के दायरे पर चर्चा करने के लिए, एक बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में केंद्रीय जल आयोग / केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण / ऊपरी यमुना नदी बोर्ड / किशाऊ निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ 17.07.2020 को आयोजित की गई. हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन, सिंचाई योजना, सर्वेक्षण और आवश्यक जांच आदि को अद्यतन करने हेतु डेटा डीपीआर के शीघ्र संशोधन पर जोर दिया गया और परियोजना प्राधिकरण को एक माह के भीतर केन्द्रीय जल आयोग को संशोधित डीपीआर को तैयार करने के लिये समय सीमा देने का अनुरोध किया गया. इस बीच परियोजना प्राधिकरण को जीएसआई / भारतीय सर्वेक्षण/ एनआईएच से परामर्श शुरू करने का सुझाव भी दिया गया.

सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में नदियों की इंटरलिंकिंग के लिए टास्क फोर्स की 12वीं बैठक

नदियों की इंटरलिंकिंग के लिए टास्क फोर्स की बारहवीं बैठक, श्री श्रीराम वेदिरे, अध्यक्ष, टास्क फ़ोर्स व सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय, की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16.07.2020 को नई दिल्ली में आयोजित की गई. श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएण्डपी), के.ज.आ. और के.ज.आ. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए. बैठक में नदियों के इंटरलिंकिंग से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई. उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं.

- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ पारबती-कालीसिंध-चंबल लिंक के एकीकरण की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट.
- पार-तापी-नर्मदा (पीटीएन) लिंक और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजनाएँ.
- कावेरी बेसिन (चरण-I) तक गोदावरी के पानी के डायवर्जन का वैकल्पिक प्रस्ताव
- मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा लिंक परियोजना
- कानूनी मुद्दों, संविधान की सूची- I की प्रविष्टि 56 के तहत नए अधिनियम की आवश्यकता, देश में नदियों के इंटर -लिंकिंग के कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राधिकरण/ एजेंसी की स्थापना.

उत्तर कोयल परियोजना की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 27वीं बैठक

उत्तरी कोयल परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 27वीं बैठक 09.07.2020 को के.ज.आ., नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. एवं अध्यक्ष(टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई. ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., के.ज.आ., मुख्यालय एवं पटना तथा राँची में इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, बिहार एवं झारखंड राज्य सरकार के अधिकारी, औरंगाबाद एवं पलामू से और गुरुग्राम एवं औरंगाबाद से वाप्कोस के अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लिया.

इस बैठक के दौरान, झारखंड सरकार के प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया कि वे निष्पादन एजेंसियों पर बिना किसी लागत बोझ के बांध स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिनांक 05.02.2020 को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. द्वारा लिखित अर्द्धशासकीय पत्र पर शीघ्र उत्तर भिजवायें. टीईसी ने बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से तकनीकी टीम द्वारा अनुशंसित आरएमसी के पूर्ण लाईनिंग के मुद्दे और माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लिखित दिनांक 13.02.2020 के अर्द्धशासकीय पत्र पर भी शीघ्रातिशीघ्र अपने विचार प्रेषित करने का अनुरोध किया .

उपरोक्त के अलावा, भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वाप्कोस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति की स्थिति, दायीं मुख्य नहर (आरएमसी) में नहर अस्तर में एलडीपीई शीट की मोटाई का मुद्दा; परियोजना की बाईं मुख्य नहर की कंडी वितरण प्रणाली के डिजाइन और ड्राइंग की स्थिति; वाप्कोस द्वारा प्रस्तुत एलएमसी कार्यों से संबंधित इनवाइसों के सत्यापन की स्थिति; परियोजना के एलएमसी के कार्यों आदि के लिए राज्य के अपने हिस्से का भुगतान न करने की स्थिति पर भी चर्चा हुई.

डीआरआईपी

डीआरआईपी चरण—2 की परियोजना हेतु तैयारी की समीक्षा करने के लिए वर्चुअल मीटिंग

अतिरिक्त सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में डीआरआईपी चरण—2 की परियोजना हेतु तैयारी की समीक्षा करने के लिए 01.07.2020 को एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई. बैठक में सीपीएमयू और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया. अब तक 15 राज्यों द्वारा 87 प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टैम्पलेट्स को 3757 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत के साथ तैयार किया गया है.

डैम की हजार्ड पोटेन्शियल के वर्गीकरण हेतु मसौदा दिशानिर्देशों पर चर्चा

मुख्य अभियंता, डीएसओ की अध्यक्षता में बांधों की हजार्ड पोटेन्शियल को वर्गीकृत करने हेतु मसौदा दिशानिर्देशों पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए 27.07.2020 को एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई. बैठक में समीक्षा समिति, सीपीएमयू और विश्व बैंक के सदस्यों ने भाग लिया. समीक्षा समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश को अंतिम रूप देने हेतु चर्चा हुई.

मौजूदा बांधों में पर्यावरणीय प्रभावों के आंकलन और प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों पर बैठक

दिनांक 23.07.2020 को सचिव, पर्यावरण व वन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सीई, डीएसओ और सीपीएमयू—डीआरआईपी, के.ज.आ. ने डीआरआईपी के तहत तैयार किये जा रहे मौजूदा बांध परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभावों के आंकलन और प्रबंधन के लिए मसौदा दिशानिर्देश प्रस्तुत किया. इस बैठक में बताया गया कि इस दिशा निर्देश के तहत पर्यावरण व वन मंत्रालय के सत्यापन से बांधों

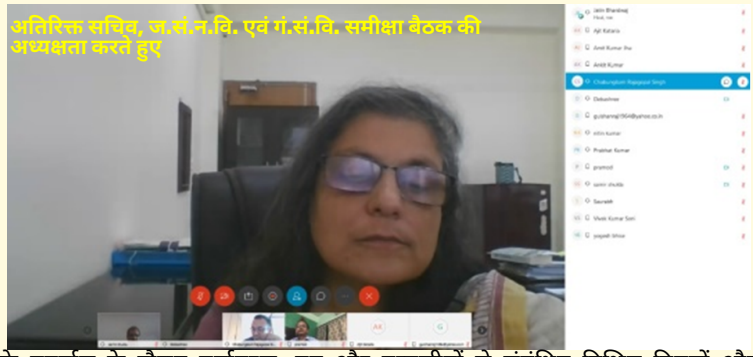

के पुनर्वास के दौरान पर्यावरण, वन और वन्यजीवों से संबंधित विभिन्न नियमों और विनियमों के संबंध में अस्पष्टता को दूर करने में मदद मिलती है. सचिव ने जरूरी स्वीकृति पर अधिक स्पष्टता के लिए दिशा निर्देश में और सुधार लाने का सुझाव दिया. पर्यावरण व वन मंत्रालय, उचित अनुमोदनों के बाद दिशा निर्देश को मंजूरी देने के लिए सहमत हुआ.

भातसा बांध

डीआरआईपी चरण—2 और चरण—3 के तहत महाराष्ट्र के भातसा बांध के बिड दस्तावेज पर चर्चा करने / अंतिम रूप देने के लिए 4 जुलाई, 8 जुलाई और 14 जुलाई 2020 को वर्चुअल प्लेटफार्मों पर 3 बैठकें आयोजित की गईं. बैठकों में, केन्द्रीय परियोजना निगरानी इकाई, सीपीएमयू / केन्द्रीय जल आयोग, राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) / महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी और विश्व बैंक के अधिकारी उपस्थित थे.

भारत में जल संसाधन क्षेत्र के अवलोकन पर स्कूली शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे ने स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधारणा की है और 2003 से ही इसका संचालन कर रहा है. मार्च 2020 तक आयोजित 16 आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 592 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं. कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी, महाराष्ट्र राज्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) के स्कूल के शिक्षक और संकाय थे. वर्तमान महामारी की स्थिति के कारण एनडब्ल्यूए ने तीन दिनों की अवधि वाले आवासीय शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदल दिया है और अखिल भारतीय स्तर पर यह कार्यक्रम सभी स्कूल के शिक्षकों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) व जिला शिक्षा निदेशालयों के संकाय के लिए शुरू कर दिया है. इस कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली.

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय और श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा कार्यक्रम के उद्घाटन भाषण को निम्नलिखित लिंक से देखा जा सकता है:

https://youtu.be/RrmLwLBG5Vw

वर्ष 2020—21 के दौरान आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण की अवधि	बैचों की संख्या	प्रतिभागी शिक्षकों की संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
22 जून से 1 जुलाई 2020 तक	3 दिवसीय प्रत्येक 4 बैचों के लिए	458	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं संघ शासित पुडुचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप
27 जुलाई से 13 अगस्त 2020 तक	तीन दिवसीय प्रत्येक 8 बैचों के लिए	1787	
कुल	12 बैच	2245	

https://youtu.be/FkK6n-cVFAA

इस कार्यक्रम के बारे में प्रतिभागियों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इस तरह के कार्यक्रमों में भविष्य में बहुत अधिक भागीदारी की उम्मीद है.

मीडिया से संवाद

समाचार चैनलों को साक्षात्कार

जुलाई माह के दौरान, विभिन्न न्यूज चैनल नामत: एबीपी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया और एनडीटीवी ने बाढ़ की स्थिति पर अध्यक्ष, के.ज.आ. का साक्षात्कार लिया. अध्यक्ष, के.ज.आ. ने बिहार और असम राज्य में मौजूदा बाढ़ की स्थिति और संबंधित पूर्वानुमानों के बारे में जानकारी दी. साक्षात्कार निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं —

https://khabar.ndtv.com/video/show/news/flood-situation-in-bihar-and-assam-quite-serious-central-water-commission-chairman-555413

https://www.facebook.com/abplive/videos/591628054886120/?v=591628054886120

https://youtu.be/QNkdF5-J-I0

दूरदर्शन पर "भारत में बाढ़ की तैयारी और न्यूनीकरण उपाय" पर पैनल चर्चा / वार्ता

श्री शरद चंद्र, निदेशक(एफएफएम), के.ज.आ. ने भारत में बाढ़ की तैयारी और न्यूनीकरण उपायों पर पैनल चर्चा नामत: "विशेष कार्यक्रम — आपदा का सामना" में भाग लिया. इसे दूरदर्शन पर 05.07.2020 को प्रसारित किया गया. उन्होंने कार्यक्रम में बाढ़ पूर्वानुमान के संबंध में के.ज.आ. की विभिन्न पहलों के बारे में विस्तार से बताया. यह पैनल चर्चा निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है —

https://www.youtube.com/watch?v=NMV6DRUA95E

बाढ़ की स्थिति — जुलाई, 2020

केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.), अपने क्षेत्रीय मंडलों के माध्यम से हर साल बाढ़ के समय के दौरान वास्तविक समय के आधार पर हाइड्रोलोजिकल और हाइड्रो—मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करता है. इन आंकड़ों का उपयोग करते हुए 327 स्थानों (198 स्तर और 129 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशनों) के लिए बाढ़ / अंतर्वाह पूर्वानुमान तैयार किये जाते हैं और फैक्स/ईमेल/एसएमएस तथा वेवसाइट के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों को प्रसारित किये जाते हैं. जुलाई 2020 के दौरान 2 नये बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों (एक स्तर और एक अंतर्वाह) को जोड़ा गया. राजस्थान के चम्बल जिले में चंबल नदी पर धौलपुर में एक स्तर पूर्वानुमान साइट और तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर लक्ष्मी बैराज पर एक अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन को शुरू किया गया.

के.ज.आ. स्टेशन के नेटवर्क से एकत्र किये गये आंकड़ों के अलावा भारत मौसम विभाग से प्राप्त मौसम संबंधी डेटा और क्यूपीएफ का उपयोग भी बाढ़ के पूर्वानुमान को तैयार में किया जाता है.

दिनांक 01.05.2020 से 31.07.2020 तक की अवधि के दौरान 4060 बाढ़ पूर्वानुमान (3572 स्तर और 488 अंतर्वाह) जारी किये गये, जिनमें से 3734 (3554 स्तर और 180 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 91.97 प्रतिशत की सटीकता के साथ सटीकता की सीमा में थे. 31 जुलाई तक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जुलाई माह में 221 आरेंज बुलेटिन (तीव्र बाढ़ स्थिति) और चरम बाढ़ की स्थिति के लिए 208 रेड बुलेटिन जारी किये गये.

01.05.2020 -31.07.2020 के दौरान बाढ़ का संक्षिप्त विवरण

एफएफ स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति

चार एफएफ स्टेशनों पर इस अवधि के दौरान चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई :

क्रम संख्या	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन
1	असम	शिवसागर	डिखो	शिवसागर
2	बिहार	गोपालगंज	गंडक	दुमरिया घाट
3		मुजफ्फरपुर	गंडक	रेवाघाट
4		समस्तीपुर	बूढ़ी गंडक	रोसेरा

निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति

12 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई

एफएफ स्टेशनों के लिए तीव्र बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड राज्यों में 65 एफएफ स्टेशनों पर तीव्र बाढ़ की स्थिति देखी गई.

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10 एफएफ स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गई.

निर्धारित सीमा से ऊपर के अंतर्वाह वाले जलाशय

पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश् और उत्तराखंड के 39 जलाशयों में इनकी निर्धारित सीमा से अधिक का अंतर्वाह प्राप्त हुआ.

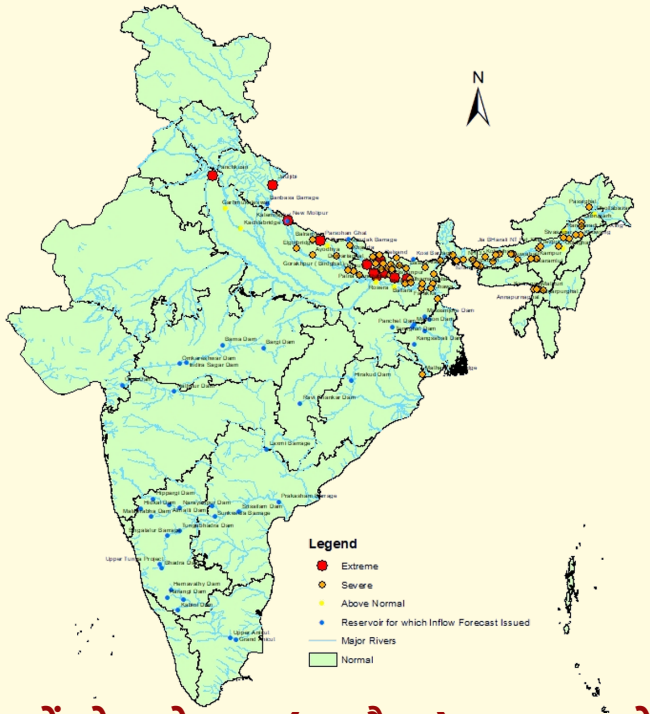

अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले डैम इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट (एम.टैक.) पाठ्यक्रम के प्रारूपण के लिए समिति की बैठक

बांध सुरक्षा विधेयक को मंजूरी देते हुए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने डैम इंजीनियरिंग/डैम सेफ्टी में एक नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है. मई से जून 2020 के दौरान, अतिरिक्त सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में आईआईटी / आईआईएससी के साथ, इस संबंध में बैठकें आयोजित की गईं. अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात जुलाई 2021 से आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास और आईआईएसआर बेंगुलुरू द्वारा पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा. पाठ्यक्रम सामग्री का मसौदा तैयार करने में सहायता करने के लिए श्री गुलशन राज, मुख्य अभियंता, डीएसओ, के.ज.आ.की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है.

उद्योगों से संवाद

1. वेक्सल इनवायरन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रस्तुति

भोपाल में स्थित जल ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले मैसर्स वेक्सल इनवायरन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (आईएसओ 9001—2015 इंजीनियरिंग कंपनी) ने 20.07.2020 को निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए के.ज.आ. को एक विस्तृत प्रस्तुति पेश की.

- बाढ़ विश्लेषण
- निकासी प्रबंधन योजना के साथ बांध टूटने का विश्लेषण
- बाढ़ न्यूनीकरण के लिए बांध प्रचालन का स्वचालन (बांध श्रृंखला प्रबंधन सहित)
- नदी संरक्षण
- वास्तविक समय पर बाढ़ का पूर्वानुमान
- उपरोक्त के प्रबंधन हेतु जल विज्ञान, हाइड्रोलिक्स और समग्र गणितीय माडलिंग क्षमतायें
- बांधों और नहरों की वाटर प्रूफिंग के लिए उत्कृष्ट गुणों वाले व बेहतरीन विशेषता वाले उत्पाद मेम्ब्रेन सोल के विकास को भी प्रस्तुत किया गया

अध्यक्ष, के.ज.आ., के.ज.आ. के सदस्यगण, डीएण्डआर विंग के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया.

2. टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ बातचीत

टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (टीसीई) लिमिटेड, जो कि, निजी क्षेत्र में भारत के अग्रणी इंजीनियरिंग सलाहकारों में से एक है, के.ज.आ. को एक प्रस्तुति दी, जिसमें जल क्षेत्र में उनकी गतिविधियों के बारे में बताया गया.

के.ज.आ. से श्री एस.के. हलधर, सदस्य (डब्ल्यूपीएण्डपी), डा. राकेश कुमार गुप्ता, सदस्य (डीएण्डआर), श्री पी.दोर्जे ग्याम्बा, निदेशक(डब्ल्यूपीएण्डपी समन्वय) और टीसीई टीम से सुश्री एस. फिलिप, गवर्नमेंट रिलेशन, डा. राजशेखर मलूर, हेड— पावर बिजनेस, श्री बी.बी. घरत, हेड डिलीवरी — इन्फ्रास्ट्रक्चर, श्री जी.एन. विरुपक्षा, ग्रुप सैक्टर, हेड —वाटर और श्री पी.एल.एन. राव, सैक्टर हेड (हाइड्रो), प्रस्तुति में शामिल हुये.

टीसीई जल क्षेत्र की टीम ने, जल संसाधन परियोजनाओं के अध्ययन और जल संसाधन परियोजना इंजीनियरिंग, पानी के अंर्तबेसिन अंतरण, सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, नदी के विकास और संरक्षण तथा जलअंतरण के लिए बड़ी सुरंगों के निर्माण के बारे में जानकारी दी.

राष्ट्रीय महत्व की हालिया परियोजनाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं :

- बाढ़ प्रबंधन के लिए ब्लू कंसलटेंसी और आंध्र प्रदेश के कैपिटल सिटी अमरावती के लिये अंर्तदेशीय जलमार्ग
- 5 राज्यों में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन — नमामि गंगे परियोजना हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श
- पानी के अंतरण के लिए 2.2 मीटर से 4.0 मीटर तक के आकार वाली कई बड़ी सुरंगों हेतु ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

टीसीई की पावर बिजनेस टीम ने सभी प्रकार की परियोजनाओं जैसे रन—आफ—रिवर प्रोजेक्ट्स, डैम टो, कैनाल ड्राप, पंपड स्टोरेज, दुनिया भर में कुल 21 गीगावाट्स से अधिक की संस्थापित क्षमता वाले रीहैबीलीटेशन/आरएमयू के बारे में जानकारी दी. टीसीई, भारत में सीईआरसी के साथ अनुबंधित कुछ सलाहकारों में से एक है तथा भारत और विदेशों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है. इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- पिन्नापुरम पीएसपी *(1680 मे.वा.)— दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के साथ स्टोरेज प्रोजेक्ट (आईआरईएसपी) में से एक के ओनर के अभियंता
- घाटघर पीएसपी (250 मे.वा.)— भारत में एक ऊंचे बांध के लिए पहली बार रोलर काम्पैक्ट कंक्रीट (आरसीसी) टैक्नोलाजी और स्टेप्ड स्पिलवे का अपनाया जाना
- श्रीनगर एचईपी (330 मे.वा.)— अवधारणा से चालू होने तक सेवाएँ
- चयनित अंतर्राष्ट्रीय परियोजनायें — बटोका गार्ज एचईपी*(2400 मे.वा.), इंगुला पीएसपी (1332 मे.वा.), उत्तरी करिबा (360 मे.वा.) और इतेझीतेझी (120 मे.वा.), अपर करनाली (900 मे.वा.)

देश में समग्र जल संसाधन विकास के लिए के.ज.आ. के साथ काम करने हेतु निजी क्षेत्र की संभावनाओं को समझने के लिए, टीसीई द्वारा यह प्रस्तुति दी गई.

डेटा कार्नर

बेसिन-वार जल स्थिति 2050

(कुल जल उपयोग के आधार पर)

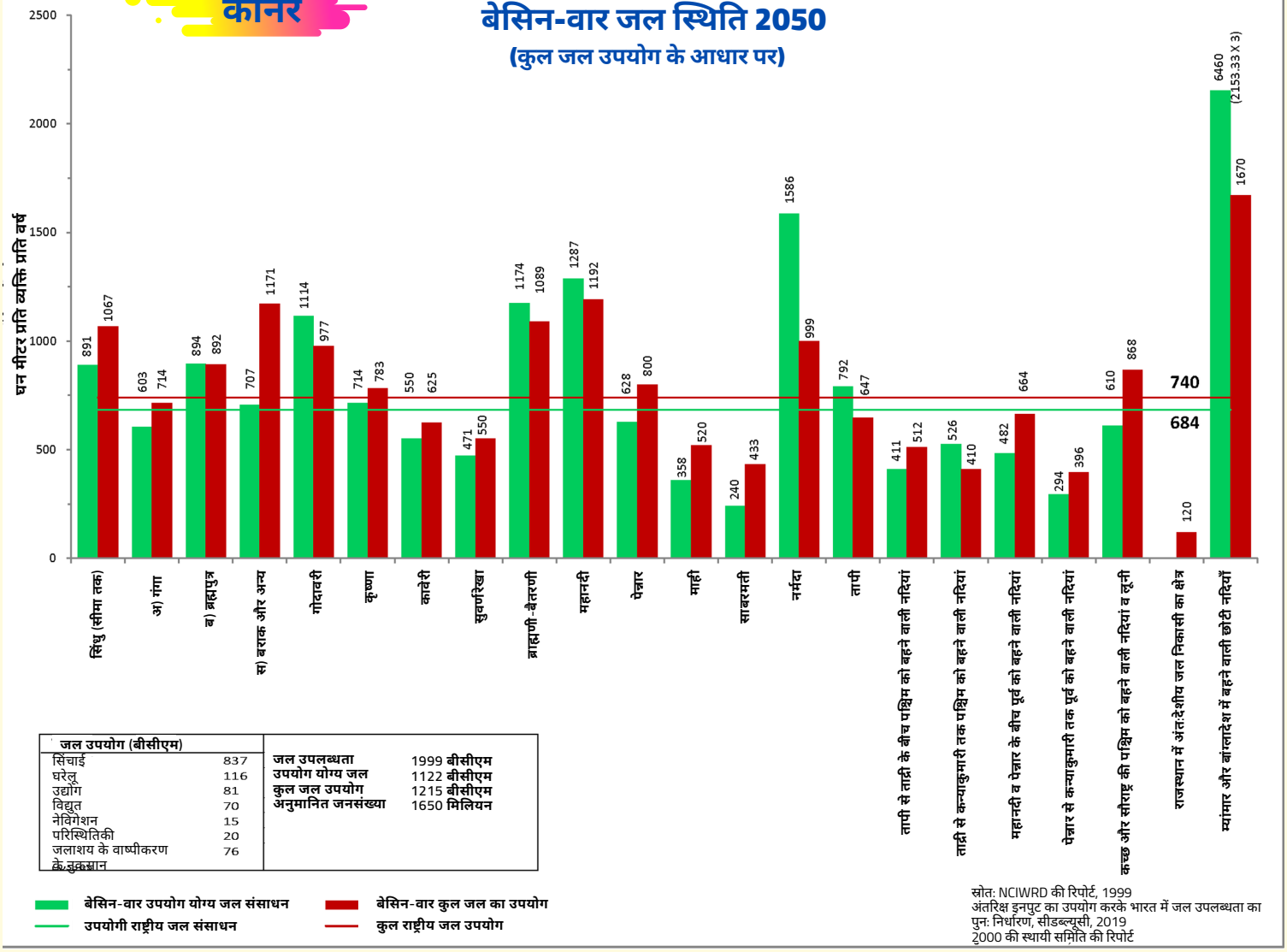

जल उपयोग (बीसीएम)	
सिंचाई	837
घरेलू	116
उद्योग	81
विद्युत	70
नेविगेशन	15
परिस्थितिकी	20
जलाशय के वाष्पीकरण के नुकसान	76

जल उपलब्धता	1999 बीसीएम
उपयोग योग्य जल	1122 बीसीएम
कुल जल उपयोग	1215 बीसीएम
अनुमानित जनसंख्या	1650 मिलियन

बेसिन-वार उपयोग योग्य जल संसाधन — बेसिन-वार कुल जल का उपयोग
उपयोगी राष्ट्रीय जल संसाधन — कुल राष्ट्रीय जल उपयोग

स्रोत: NCIWRD की रिपोर्ट, 1999
अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करके भारत में जल उपलब्धता का पुन: निर्धारण, सीडब्ल्यूसी, 2019
2000 की स्थायी समिति की रिपोर्ट

आदि—बद्री परियोजना

सरस्वती नदी के पुर्नुद्धार हेतु आदि—बद्री परियोजना पर चर्चा करने के लिए, माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक में भाग लेने हेतु श्री एस.के. सिब्बल, मुख्य अभियंता, के.ज.आ. के नेतृत्व में डिजाईन (एनएण्डडब्ल्यू) यूनिट, के.ज.आ. के अधिकारियों की एक टीम ने 02.07.2020 को यमुना नगर का दौरा किया.

पीएचईपी—II की तकनीकी समूह की 7वीं बैठक

पुनात्संगचु—II एचई प्रोजेक्ट (भूटान) की तकनीकी समूह की 7वीं बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 28.07.2020 को आयोजित की गई. अनुप्रवाह सर्ज गैलरी की उत्तर दिशा में गिरे हुए मलबे को एम 10 ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए ग्राउटिंग पूर्ण करने के संबंध में की गई बैठक की अध्यक्षता, श्री ए.बी.पांड्या, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा की गई, जिसमें पीएचपीए—II, के.ज.आ., वाप्कोस , एनआईआरएम के अधिकारियों और आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों ने भाग लिया. मुख्य अभियंता, डिजाइन(ईएण्डएनई), निदेशक और उप निदेशक एचसीडी(ईएण्डएनई) ने बैठक में भाग लिया.

जल क्षेत्र समाचार

- मुक्तेश्वर में स्थापित हुआ उत्तराखंड का पहला डॉप्लर राडार (जनसत्ता, 10.07.2020)
- इस मानसून औषधीय पौधों से हरी दिखेगी दिल्ली (जनसत्ता, 11.07.2020)
- घाघरा नदी निगल रही हजारों ग्रामीण परिवारों की खुशियां (राजस्थान पत्रिका, 12.07.2020)
- भूजल दोहन पर होगी सख्त कार्रवाई, सील होंगे बोरवेल (दैनिक जागरण, 13.07.2020)
- डीपीसीसी ने सील किए 7,200 अवैध बोरवेल (द पायनियर, 14.07.2020)
- छह जिलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का आज हवाई निरीक्षण करेंगे जलशक्ति मंत्री (द पायनियर, 15.07.2020)
- बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए आनलाइन प्रशिक्षण आज से (पायनियर, 28.07.2020)
- गंगा अनलॉक—दो में दोगुनी प्रदूषित हो गई (हिन्दुस्तान, 28.07.2020)

प्रकाशम बैराज का इतिहास

3,736 फीट लंबे कृष्णा बैराज का इतिहास सितम्बर 1952 से शुरू होता है, जब कृष्णा एनीकट, बाढ़ से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और एनीकट बाडीवाल टूट गया था. विजयवाड़ा के पास एनीकट को 1852 से 1855 के दौरान दोनों किनारों पर नहर नेटवर्क के माध्यम से उपजाऊ कृष्णा डेल्टा को सिंचित करने के लिए बनाया गया था.

इस योजना में 5.8 लाख एकड़ के अधिकतम सिंचन क्षेत्र की परिकल्पना की गई थी. यह लक्ष्य 1894 तक अपेक्षित समय से बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया था. इसलिए एनीकट के ऊपर शटर लगाए गए थे. 1925 में स्थापित 6 फीट ऊंचे शटर को लगभग 8 लाख एकड़ के अधिकतम सिंचन क्षेत्र के लिए लगाया गया था. यह जल्द ही बढ़कर 11 लाख एकड़ हो गया. बढ़े हुए सिंचन क्षेत्र के लिए नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए एनीकट के शटर को कम से कम 2 फीट ऊपर उठाने की आवश्यकता थी. 6 फीट के स्थान पर 8 फुट शटर की स्थापना से ऐसी आपूर्ति सुनिश्चित होती. लेकिन ऐसा न किया जा सका क्योंकि एनीकट इसके लिए डिजाईन नहीं किया गया था और यह इसके पीछे पानी की बढ़ती ऊंचाई के दबाब को झेलने के लिए बहुत कमजोर साबित होता.

आंध्र में कृष्णा बैराज के उद्घाटन से कृष्णा के जल उपयोग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है जो क्षेत्र की सांस्कृतिक, एतिहासिक और धार्मिक विरासत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है.

यह औपचारिक रूप से 24.12.1957 को शुरू किया गया था. आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री नीलम संजीव रेड्डी ने उस समय देश में सबसे लंबे बैराज का उद्घाटन किया था और 'आंध्र केसरी' की महानसेवा की स्मृति में इसका नाम स्वर्गीय श्री प्रकाशम के नाम पर नया नाम दिया था. श्री प्रकाशम ने, इस परियोजना की आधारशिला फरवरी 1954 में रखी थी, जब वे आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री थे.

बैराज की विशेषतायें

प्रकाशम बैराज 3,736 फीट लंबा है और नदी के तल स्तर से 20 फीट पानी की गहराई प्रदान करता है. इसमें 40 फीट वाले 70 गेट हैं, जिसमें 12 फीट ऊंचे शटर, नदी में बाढ़ और दोनों तरफ नहरों में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं. वर्तमान एनीकट स्तर के ऊपर 10 फीट का जल स्तर बनाए रखा जा सकता है, जबकि कृष्णा एनीकट पर यह 6 फीट था . बैराज के ऊपर की सड़क 24 फुट चौड़ी है, जिसके दोनों

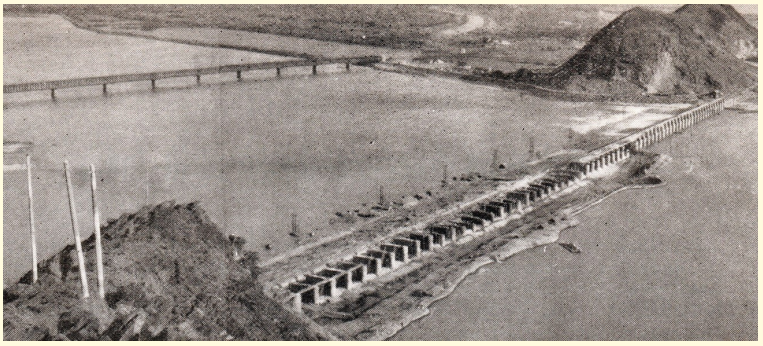

ओर दो 5 फुट चौड़े फुटपाथ हैं. दस हजार टन स्टील और 50,000 टन सीमेंट नई संरचना में प्रयुक्त हुआ है. यह कंक्रीट और चिनाई के 7 मिलियन क्यूबिक फीट और 900 प्रबलित कंक्रीट कुओं का प्रतीक है, जिस पर बैराज स्थापित है.

गेट का निर्माण

बैराज के गेट का निर्माण बैराज की साइट के पास नए लोक निर्माण विभाग की वर्कशाप में किया गया था. सभी गेटों का कुल वजन 2,000 टन था और परिचालन उपकरण और उच्चालक (होएस्ट) पुल की लागत सहित इसकी लागत 130 प्रति वर्ग फुट आयी. इसके परिणामस्वरूप बाहर से शटर की खरीद की तुलना में यह काफी कम व्यय वाली थी.

लागत और समय में बचत

इस कार्य की अनुमानित लागत, 1953 की निर्धारित दरों पर 2.84 करोड़ रुपये लगाई गई थी. यह कार्य, 15 लाख की बचत के साथ निर्धारित समय से छह महीने पूर्व, पूरा कर लिया गया था.

बैराज से लाभ

बैराज ने कृष्णा डेल्टा में 11 लाख एकड़ सिंचन क्षेत्र की मौजूदा जल आपूर्ति को स्थिर किया. क्षतिग्रस्त एनीकट की चिंता और एनीकट के शटर को ट्रिप करने तथा उठाने की अनिश्चित प्रणाली, इस नई संरचना द्वारा दूर कर दी गई थी. बैराज द्वारा अब एक उच्च जल स्तर को बनाए रखा जा रहा है और रोपाई के मौसम में नहरों को अधिक आपूर्ति शुरू की गई, जिससे डेल्टा में प्रत्यारोपण लगभग दो सप्ताह पहले पूरा होने लगा है.

"जल संसाधनों और जल विद्युत परियोजनाओं में तलछट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश" की समीक्षा करने के लिए समिति की बैठक

"जल संसाधन और जल विद्युत परियोजनाओं में तलछट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश" की समीक्षा करने के लिए समिति की दूसरी बैठक 14.07.2020 को श्री टी.के. शिवराजन, मु.अ., डिजाइन(ईएण्डएनई), के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इसमें के.ज.आ. के विभिन्न डिजाइन इकाईयों के निदेशकों ने भाग लिया.

यह दिशानिर्देश, स्टोरेज और आरओआर प्रकार के जल संसाधनों और पनबिजली परियोजनाओं के लिए जलाशय संरक्षण, (आरईएससीओएन) दृष्टिकोण तथा उद्देश्यों पर जोर दे रहे हैं. इसका मूल उद्देश्य, लाइव स्टोरेज वाल्यूम के नुकसान की रक्षा करना और उच्च तलछट संकेद्रण के कारण कटाव से पनबिजली यात्रिंक पुर्जों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. यह बैठक, अवसादन प्रबंधन पर दिशा निर्देशों के पिछले निर्देशों को संशोधित करने और संशोधित दिशानिर्देश लाने पर केन्द्रित थी ताकि संकेद्रण से बचाव हेतु तलछट सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

केन्द्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक - मंडल

- डॉ. समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(मा.सं.प्र.)- मुख्य संपादक
- श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ)-सदस्य
- श्री योगेश पैठणकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ)- सदस्य
- श्री पंकज कुमार शर्मा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय)-सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(डब्ल्यूएसई) व निदेशक(तकनीकी समन्वय)- सदस्य
- श्री पदमा दोर्जे ज्ञाम्बा, निदेशक(डबल्यूपीएंडपी समन्वय) -सदस्य
- श्री चैतन्य के, उप निदेशक(आईएसएम-2)-सदस्य
- श्री आर के शर्मा, उप निदेशक(डीएंडआर समन्वय)-सदस्य
- श्री शिव सुंदर सिंह, उप निदेशक(डब्ल्यूएसई)-सदस्य सचिव

अनुवाद : श्री शशि कान्त तिवारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी(डब्ल्यूएसई), के.ज.आ., नई दिल्ली

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066

ई मेल: media-cwc@gov.in